

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

कमांक. /172/2023

मंदसौर, दिनांक 23.09.2023


- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अक्टूबर-नवम्बर 2023 ::-

- ::जिला मुख्यालय-मंदसौर ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अक्टूबर 2023	माह नवम्बर 2023
1	श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	---	26-11-2023 27-11-2023
2	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-10-2023 02-10-2023	---
3	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	29-10-2023	05-11-2023
4	श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	---	10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023
5	सुश्री निकिता वार्धे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	24-10-2023	18-11-2023 19-11-2023
6	श्री प्राची पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	08-10-2023 15-10-2023	---
7	सुश्री रुपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	21-10-2023 22-10-2023 23-10-2023	---

-::तहसील मुख्यालय-नारायणगढ़ ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अक्टूबर 2023	माह नवम्बर 2023
1	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-10-2023 02-10-2023 21-10-2023 22-10-2023 23-10-2023 24-10-2023 29-10-2023	05-11-2023 18-11-2023 19-11-2023
2	श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	08-10-2023 15-10-2023	10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 26-11-2023 27-11-2023


23-9-2023

— ::तहसील मुख्यालय—सीतामउ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अक्टूबर 2023	माह नवम्बर 2023
1	श्री बलवीर सिंह धाकड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-10-2023 02-10-2023 21-10-2023 22-10-2023	12-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 18-11-2023 26-11-2023
2	श्रीमती अर्चना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	08-10-2023 15-10-2023 23-10-2023 24-10-2023 29-10-2023	05-11-2023 10-11-2023 11-11-2023 19-11-2023 27-11-2023

— ::तहसील मुख्यालय—गरोठ ::—


क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अक्टूबर 2023	माह नवम्बर 2023
1	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-10-2023 08-10-2023 21-10-2023 23-10-2023 29-10-2023	10-11-2023 12-11-2023 14-11-2023 18-11-2023 26-11-2023
2	सुश्री प्रीति पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	02-10-2023 15-10-2023 22-10-2023 24-10-2023	05-11-2023 11-11-2023 13-11-2023 15-11-2023 19-11-2023 27-11-2023

— ::तहसील मुख्यालय—भानपुरा ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह अक्टूबर 2023	माह नवम्बर 2023
1	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा	08-10-2023 15-10-2023 23-10-2023 24-10-2023	05-11-2023 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 18-11-2023 27-11-2023
2	श्रीमती मेघा पुरोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा	01-10-2023 02-10-2023 21-10-2023 22-10-2023 29-10-2023	10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023 19-11-2023 26-11-2023

माह अक्टूबर 2023 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन माह अक्टूबर 2023 में क्रमशः सुश्री प्राची पाण्डे/श्रीमती बलवीर सिंह धाकड़/श्रीमती साक्षी प्रसाद/श्री राहुल दुबे/श्रीमती मेघा पुरोहित के द्वारा किया जावेगा।

माह नवम्बर 2023 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति


23.9.2023


मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह नवम्बर 2023** में कमशः सुश्री रुपा मिश्रा/श्रीमती अर्चना यादव/श्री सौरभ कुमार सिंह/सुश्री प्रीति पांडे/श्री ऋषिराज मिश्रा के द्वारा किया जावेगा।

उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।




(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

मंदसौर, दिनांक 23.09.2023

पृक्र: - 1723/2023

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।



(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)